

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बैठन, जिला सिंगरौली, म0प्र0

// ज्ञापन //

क्रमांक 73 / 11-12-1/2014
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक 14/10/2025

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड,
भोपाल मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय वाहन क्रमांक-एम.पी.02 एच.सी.0217 की नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जिला सिंगरौली को आवंटित शासकीय वाहन क्रमांक-एम.पी.02 एच.सी.0217 की नीलामी की विज्ञप्ति स्थानीय स्तर के समाचार पत्र दैनिक भास्कर आदि में प्रकाशित किये जाने हेतु आपकी ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा अतिशीघ्र प्रकाशित करवाकर कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- वाहन नीलामी निविदा

SD/-
प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय, मुख्यालय बैठन
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 14/10/2025

पृष्ठां.क्रमांक 73 ② / 11-12-1/2014

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- ✓ 2. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, सिंगरौली की ओर वाहन नीलामी विज्ञप्ति एवं विक्रय की शर्तों की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. कलेक्टर जिला सिंगरौली की ओर वाहन नीलामी विज्ञप्ति एवं विक्रय की शर्तों की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को उक्त वाहन नीलामी विज्ञप्ति एवं विक्रय की शर्तें कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली के नोटिस पर चस्पा करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, सिंगरौली की ओर वाहन नीलामी विज्ञप्ति एवं विक्रय की शर्तों की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को उक्त वाहन नीलामी विज्ञप्ति एवं विक्रय की शर्तें नगर पालिक निगम कार्यालय सिंगरौली के नोटिस पर चस्पा करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय मुख्यालय बैठन
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बैठन, जिला सिंगरौली, म0प्र0
वाहन नीलामी विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन क0 एम.पी.02 एच.सी. 0217 का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

अतः इस नीलामी/विक्रय की शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति, शासकीय वाहन क्रमांक-एम.पी.02 एच.सी.0217 को क्रय करना चाहता है वह दिनांक-26.11.2025 को प्रातः 11 बजे कुटुम्ब न्यायालय परिसर बैठन जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी/विक्रय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहन का भौतिक अवलोकन नायब नाजिर, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली से कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर, किया जा सकता है।

नीलामी/विक्रय की शर्तें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाईट www.mphe.gov.in एवं www.singrauli.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती है।

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय मुख्यालय बैठन
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

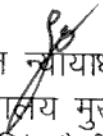
वाहन नीलामी/विक्रय की शर्तें

1. शासकीय वाहन क्रमांक-एम.पी.02 एच.सी.0217 का अपलेखन मूल्य 95200/-रुपये निर्धारित है।
2. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक **26.11.2025** से एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलामी/विक्रय किया जायेगा।
3. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा आदि देय नहीं होगा।
4. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन की नीलामी में लेने/बोली लगाने हेतु शासकीय वाहन हेतु पृथक से **रुपये 5000/-का बैंक ड्राफ्ट प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली के नाम से देय** नजारात अनुभाग में नीलामी दिनांक **26.11.2025** के एक दिन पूर्व तक जमा करना होगा।
5. स्वीकृत बोलीकर्त्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्त्ता की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्त्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।
6. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर बोलीकर्त्ता को स्वीकृत बोली की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नियमानुसार चालान के माध्यम से शासन हित में जमा करना होगा। विक्रयशुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजस्व की जा सकेगी।
7. बोली अंतिम रूप से माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय सिंगरौली द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय सिंगरौली को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।
8. वाहन नीलामी के संबंध में, विवाद के संबंध में वाहन नीलामी हेतु प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी हेतु प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली को नीलाम/विक्रय की शर्तों में बदलाव करने का, शर्तों को आंशिक रूप से निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार होगा।
9. नीलाम/विक्रय शुदा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरान्त वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर कुटुम्ब न्यायालय परिसर बैटन से ले जाना होगा। विलंब की स्थिति में दैनिक आधार पर माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।
10. नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्त्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।
11. सफल बोलीकर्त्ता द्वारा वाहन के नामांतरण टैक्स जमा करना, बीमा करना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी, जिनका व्यय भार भी स्वयं वहन करना होगा। इस संबंध में

कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

12. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट नजारत अनुभाग कुटुम्ब न्यायालय बैठन में जमा की जावेगी।

13. वाहन के संबंध में पूछताछ हेतु नायब नाजिर/लेखापाल, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली के मोबाईल नम्बर 7389310978 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।


प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय मुख्यालय बैठन
जिला सिंगरौली (म0प्र0)